संख्या-107/1820आ.न.यो./9-8-14-19आ.न.यो(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत-सिवालखास, जनपद-मेरठ/नगर पंचायत-सफीपुर, जनपद-उन्नाव/नगर पंचायत-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ/ नगर पंचायत-तिन्दवारी, जनपद-बांदा/नगर पंचायत-बुढाना, जनपद-मुजफ्फरनगर/ नगर पंचायत-रामपुर कारखाना, जनपद-देवरिया।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पंचायतों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नागर निकायों, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरो/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 07 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के सापेक्ष कुल रूपये 348.00 लाख (रूपये तीन करोड़ अडतालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रूपये 348.00 लाख (रूपये तीन करोड़ अडतालीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण हेतु सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा 03 दिन के अन्दर बिल बनाकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को आगामी 03 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जायेगा

अवमुक्त धनराशि मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु निकाय द्वारा खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में आगामी 03 दिवस के अन्दर सीधे जमा की जायेगी।

(3) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत डेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमश: इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(6) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चैंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-''2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-107/1820(1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-107/1820आ.न.यो./नौ-आठ-2014-19आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 15 सितम्बर, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	बुलन्दशहर	न.पं. बुगरासी	मौहल्ला बेरीवाला वार्ड नम्बर-12 बुगरासी स्याना रोड तिराहे से दौलतपुर रोड खदाना सडक मोड तक पेन्टेड रोड एवं दोनों तरफ पुस्ता का निर्माण कार्य।	20.11	20.11		
			योग-		**20.11**	**20.00**	**20.00**
2	मेरठ	न.पं. सिवालखास	वार्ड नम्बर-1 में अम्बेडकर भवन से राजपाल के बाग तक सी;सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	20.32	20.32		
			वार्ड नम्बर-12 में तालाब वाली मस्जिद से डा0 जमील तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	24.94	24.94		
			वार्ड नम्बर-12 में निजामुद्दीन से शमशाद तक, सैफूद्दीन से ताहिर व तौसीफ से आकिल तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.42	11.42		
			योग-		**56.68**	**50.00**	**50.00**
3	उन्नाव	न.पं. सफीपुर	शिवमंगल के मकान से मौलाने दादा की मजार तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	24.05	24.05		
			माया पैलेस से डा. शिवमंगल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	23.16	23.16		
			स्टेशन रोड इण्टरलाक से परागी के मकान तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	30.96	30.96		
			वार्ड नम्बर-5 में मुलई के मकान से कन्हैया लोहार के मकान तक नाली एवं इण्टरलाक कार्य।	02.93	02.93		
			योग-		**81.10**	**80.00**	**80.00**

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-107/1820आ.न.यो./नौ-आठ-2014-19आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 15 सितम्बर, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
4	आजमगढ	न.पं. निजामाबाद	मेन पी0डब्लू0डी0 रोड (शिवचन्द यादव) के मकान से शीतला माता रोड पर जूनियर हाई स्कूल होते हुए पुलिया तक इण्टरलाकिंग कार्य।	10.41	10.41		
			देवकी सेठ चौराहा से सदरू की चक्की होते हुए पी0डब्लू0डी0 मेन रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.89	14.89		
			मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण कार्य।	15.60	15.60		
			वार्ड नम्बर-3 में पी0डब्लू0डी0 बाई पास से जलकल तक तथा जलकल परिसर में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	14.77	14.77		
			मु0 कस्वा वार्ड नम्बर-1 में नगर पंचायत सी0सी0 रोड/राजु पाठक के प्लाट से टीकरहा नाला तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	08.07	08.07		
			योग-		**63.74**	**60.00**	**60.00**
5	बांदा	न.पं. तिन्दवारी	बांदा फतेहपुर मार्ग से भिडौरा रोड में प्राईमरी स्कूल तक सड़क के दोनों ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	28.10	28.10		
			सब्जी मण्डी तिन्दवारी में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	24.51	24.51		
			नाला पुलिया से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	16.38	16.38		
			योग-		**68.99**	**68.00**	**68.00**

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-107/1820आ.न.यो./नौ-आठ-2014-19आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 15 सितम्बर, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
6	मुजफ्फरनगर	न.पं. बुढाना	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज से कांधला रोड तक दोनों साईड इण्टरलाक साईड पटरी निर्माण कार्य।	38.15	38.15		
			योग-		**38.15**	**30.00**	**30.00**
7	देवरिया	न.पं. रामपुर कारखाना	चण्डी प्रसाद मिश्र के घर के पीछे से अलिशेर के घर के सामने तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	03.90	03.90		
			रामपुर मेन चौराहा से न.प. कार्यालय तक नाला पर स्लैव निर्माण कार्य।	14.84	14.84		
			रामपुर मेन रोड से ईदगाह प्रांगण में इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	02.94	02.94		
			रामपुर मेन पिच रोड से डायट तक इण्टरलाकिंग रोड व क्रासिंग निर्माण कार्य।	09.03	09.03		
			राधेश्याम सिंह के घर से प्रेम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	08.95	08.95		
			रामपुर मेन रोड से सईद बाबा के मजार तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	02.44	02.44		
			योग-		**42.10**	**40.00**	**40.00**
			कुल योग-			**348.00**	**348.00**

(रूपये तीन करोड़ अडतालीस लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in